''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.''



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 91] रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 अप्रैल 2002—चैत्र 20, शक 1924

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 मार्च 2002

अधिसूचना

क्रमांक 967/स.क.वि./2002.—यत: राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) की धारा 7 के अधीन मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक एफ-3-13/99/26-2, तारीख 30-3-99, क्रमांक एफ-5-65/99/26-2, तारीख 30-3-99, क्रमांक एफ-3-66/99/26-2, तारीख 30-3-99, क्रमांक एफ-4-15/99/26-2, दिनांक 30-3-99 द्वारा विभागीय योजनाओं के संबंध में जिला स्तर पर शक्तियां जिला योजना समिति को प्रत्यायोजित की गई थी.

यत: छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 4 सन् 2001) तारीख 16 मई, 2001 से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त हो गया है.

अतएव छत्तीसगढ़ योजना समिति अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 4 सन् 2001) के अनुसरण में राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ऊपर उल्लेखित मध्यप्रदेश सरकार के आदेशों को निरस्त करती है तथा तारीख 1-4-99 की स्थिति को प्रत्यावर्तित करती है.

Raipur, the 8th March 2002

NOTIFICATION

No. 967/SWD/2002.—Whereas it has brought into notice of the State Government of Chhattisgarh that under Section 7 of the Madhya Pradesh Zila Yojana Samiti Adhiniyam, 1995 (No. 19 of 1995), the Government of Madhya Pradesh has

delegated the powers to Zila Yojana Committee, at the district level, in relation with departmental schemes by its order No. F-3-13/99/26-2, dated 30-3-99, No. F-5-65/99/26-2, dated 30-3-99, No. F-3-66/99/26-2, dated 30-3-99, No. F- 4-15/99/26-2, dated 30-3-99 of Panchayat and Social Welfare Department Madhya Pradesh.

Whereas, the Chhattisgarh Zila Yojana Samiti Adhiniyam (Sanshodhan) Adhyadesh, 2001 (No. 4 of 2001) has come in to force in the Chhattisgarh State from the date 16-5-2001.

Now, therefore in pursuance of the Chhattisgarh Zila Yojana Samiti Adhiniyam (Sanshodhan) Adhyadesh, 2001 (No. 4 of 2001), the State Government, hereby, repeal the above mentioned orders of Madhya Pradesh Government and restore the situation as on 1-4-99.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अग्रवाल, विशेष सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग. सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्र. 93-ढ] रायपुर, गुरूवार, दिनांक 18 अप्रैल 2002—चैत्र 28, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर दिनांक 17 अप्रैल, 2002

क्रमांक 2893/21-अ/प्रारूपण/2001.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 17-4-2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

"महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नालॉजी अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10, सन् 2002)"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 10 सन् 2001)

महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, अधिनियम 2002

छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन की उन शाखाओं में शिक्षण एवं सम्बद्धता प्रदान करने, जिसे विश्वविद्यालय उपयुक्त समझे एवं अनुसंधान का प्रावधान तथा ज्ञान के विकास हेतु विविध क्षेत्र जिसमें वैदिक शिक्षण एवं ज्ञान भी सम्मिलित है, को स्थापित करने हेतु अधिनियम, 2002.

भारत के गणतंत्र के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नॉलाजी अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) होगा.

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "विद्या परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्;

(ख) "शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द" से अभिप्रेत है कर्मचारीवृन्द के ऐसे प्रवर्ग जो अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द के रूप में अभिहित किए गए हैं;

(ग) "कार्यकारिणी परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद्;

(घ) "अध्ययन मण्डल" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का अध्ययन मण्डल;

(ङ) "कुलाधिपति, कुलपति और प्रति कुलपति" से अभिप्रेत है क्रमशः विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, कुलपति और प्रति कुलपति;

(च) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित तथा सम्पोषित या उससे सम्बद्ध या मान्यता प्राप्तियों उसके विशेषाधिकारों से स्वीकृत;

(छ) "विभाग" से अभिप्रेत है ऐसे परिनियमों द्वारा प्राप्त विश्वविद्यालय के विभाग;

(ज) "दूर शिक्षा पद्धति" से अभिप्रेत है शिक्षा देने की ऐसी पद्धति जो संचार के किसी माध्यम से दी जाये जैसे प्रसारण (ब्राडकास्टिंग) सेटेलाइट, इन्टरनेट, दूरदर्शन-प्रेषण (टेलीकास्टिंग), पत्राचार पाठ्यक्रमों, विचार गोष्ठियों (सेमीनार) सम्पर्क कार्यक्रम या ऐसे साधनों में से किन्हीं दो या अधिक साधनों के संयोजन के माध्यम से दी जाए;

(झ) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति और उसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारीवृन्द;

(ञ) "वित्त समिति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की वित्त समिति;

(ट) "छात्र निवास (हॉल)" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित महाविद्यालय शिक्षा केन्द्र (केम्प) या संस्था के विद्यार्थियों के लिए निवास स्थान की या सामूहिक जीवन की इकाई;

(ठ) "संस्था" से अभिप्रेत है कोई शैक्षणिक संस्था न कि महाविद्यालय, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा घोषित हो;

(ड) "योजना मण्डल" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का योजना मण्डल;

(ढ) "प्राचार्य" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी महाविद्यालय या संस्था का प्रधान और जब कोई प्राचार्य न हो तो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय सम्यक्रूपेण नियुक्त किया गया है और प्राचार्य या कार्यकारी प्राचार्य की

अनुपस्थिति में उप-प्राचार्य जिसे कि रूप सम्यक् रूपेण नियुक्त किया गया है;

(ण) "मान्यता प्राप्त संस्था" से अभिप्रेत है उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली कोई संस्था जो विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है;

(त) "मान्यता प्राप्त अध्यापक" से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षा देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दी गई हो, या ऐसी संस्थान जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित हों या पोषित न हों;

(थ) "विनियम" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम जो तत्समय प्रवृत्त हो;

(द) "परिनियम और अध्यादेश" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम और अध्यादेश;

(ध) विश्वविद्यालय के "अध्यापक" के अंतर्गत आते हैं-आचार्य (प्रोफेसर), उपाचार्य (रीडर), प्राध्यापक (लेक्चरर), तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में या किसी महाविद्यालय में या संस्था में जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता है, शिक्षा देने के लिए या अनुसंधान कार्य का संचालन करने के लिए नियुक्त किये गये हैं, जो अध्यादेशों द्वारा अध्यापकों के रूप में पदनामित किये गये हैं;

(न) "प्रायोजक निकाय" से अभिप्रेत है महर्षि शिक्षा संस्थान द्वारा रजिस्ट्रीकरण सोसायटी, जो कि विश्वविद्यालय पर पूरा नियंत्रण रखेगा;

(प) "छात्र" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के छात्र और उसमें सम्मिलित है-ऐसा व्यक्ति जिसने विश्वविद्यालय के किसी अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुसरण में स्वयं का नामांकन कराया हो;

(फ) "विदेशी विद्यार्थी" से अभिप्रेत है वह विद्यार्थी, जो भारतीय मूल का न हो;

(ब) "परिसर" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया सम्पोषित या मान्यता प्राप्त कोई परिसर जो छात्रों को सलाह, मूल्यांकन या परामर्श के उद्देश्य से स्थापित किया गया एवं छात्र की आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान कर सके.

(भ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन स्थापित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी;

(म) "वर्ष" से अभिप्रेत है तीस जून को समाप्त होने वाली बारह मास की कालावधि;

(य) "विश्वविद्यालय के अधिकारी" से अभिप्रेत है, अधिकारी जो धारा 8 द्वारा उपबन्धित हो;

(1) महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा; विश्वविद्यालय.

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय बिलासपुर जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में होगा तथा वह अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे अन्य स्थानों पर भी जैसा कि वह उचित समझे शिक्षा केन्द्र (केम्पस) स्थापित कर सकेगा;

(3) प्रथम कुलाधिपति, कुलपति और कार्यकारिणी परिषद् या विद्या परिषद् या योजना मण्डल के प्रथम सदस्य और ऐसे समस्त व्यक्तियों को जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाएं, जब तक कि वे ऐसा पद या ऐसी सदस्यता धारण किये रहते हैं, मिलाकर, एतद्द्वारा महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी के नाम से एक निगमित निकाय का गठन किया जाता है;

(4) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा.

4. विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :— विश्वविद्यालय की शक्तियां.

(i) विश्वविद्यालय की ऐसी शाखाओं में शिक्षण प्रदान करना जिसे विश्वविद्यालय उपयुक्त समझे एवं अनुसंधान का प्रावधान, ज्ञान के विकास हेतु विविध क्षेत्रों, जिसमें वैदिक विद्या के समस्त 40 क्षेत्र सम्मिलित हो, (ऋगवेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छन्द, निरूक्त, न्याय, वैशेषिक, सामख्या, वेदान्त, कर्म मीमान्सा, योग, उपनिषद्, अरण्यक, ब्राम्हण स्मृति, पुराण, इतिहास, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, वाबभट्ट संहिता, सुश्रुत संहिता, कश्यप संहिता, चरक संहिता, भेल संहिता, हारीत संहिता, भावप्रकाश संहिता, शारंगधर संहिता, माधव

निदान संहिता, ऋकवेद (प्राति शाख्य), शुक्ल यजुर्वेद (प्राति शाख्य), अथर्व वेद, सामवेद (पुष्पसूत्रम), कृष्ण यजुर्वेद (तैतरीय), अथर्व वेद (चर्तुध्यायी) सम्मिलित हो, प्रसार करना;

(ii) ऐसी शर्तों के जैसी कि विश्वविद्याय अवधारित करे, अध्यधीन रहते हुए, परीक्षा, मूल्यांकन या जांच की किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधि पत्र या प्रमाण-पत्र देना और उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना और ऐसे उपाधि-पत्रों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं को उचित तथा पर्याप्त कारणों से वापस लेना;

(iii) बहिर्वर्ती (एक्स्ट्राम्यूरल) अध्ययन, प्रशिक्षण तथा विस्तार सेवा आयोजित करना और उसका जिम्मा लेना;

(iv) सम्मान सूचक उपाधियां या अन्य विशिष्टताएं परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में प्रदान करना;

(v) दूर शिक्षा पद्धति द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराना;

(vi) उच्च विद्या प्रदान करने वाली संस्था को ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करें मान्यता देना तथा ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(vii) किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित संस्था में शिक्षा देने के लिए व्यक्तियों को मान्यता देना;

(viii) उन व्यक्तियों को, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य कर रहे हो, विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्त करना;

(ix) अध्यापन, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय तथा अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

(x) ऐसी रीति में ऐसे प्रयोजनों के लिए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, अन्य विश्वविद्यालयों, प्राधिकारी या उच्च विद्या प्रदान करने वाली किसी अन्य संस्था के साथ सहकार करना या सहयोग करना या उनके साथ सहयुक्त होना;

(xi) अनुसंधान और शिक्षण के लिए ऐसे शिक्षा केन्द्रों, विशेष केन्द्रों, विशेषज्ञीय प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक है;

(xii) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिका, पदक तथा पुरस्कार संस्थित करना और देना;

(xiii) महाविद्यालयों, संस्थाओं तथा छात्र निवासों को स्थापित करना तथा उनको संधारित करना;

(xiv) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए उपबंध करना तथा उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं, औद्योगिक या अन्य संगठनों से ऐसा प्रबन्ध करना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(xv) अध्यापकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों (कोर्सेस), अभिविन्यास (ओरिएण्टेशन) पाठ्यक्रमों, कर्मशालाओं, विचार गोष्ठियों तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन और उनका संचालन करना;

(xvi) महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन तथा अध्यापन के संबंध में ऐसे विशेष प्रबन्ध करना जैसा कि विश्वविद्यालय की दृष्टि में वांछनीय हो;

(xvii) अभ्यागत आचार्यों (विजिटिंग प्रोफेसर) प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं, विद्वानों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान दे सकें संविदा पर नियुक्त करना;

(xviii) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति, किसी महाविद्यालय, संस्था या विभाग को स्वशासी प्रास्थिति प्रदान करना;

(xix) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए स्तरमान अवधारित करना जिनमें परीक्षा मूल्यांकन और परीक्षण का कोई अन्य तरीका सम्मिलित हो सकेगा;

(xx) प्रवेश के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए स्थान नियत करना;

(xxi) फीस तथा अन्य प्रभारों की मांग करना तथा उनका संदाय प्राप्त करना;

(xxii) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि करने हेतु प्रबन्ध करना;

(xiii) कर्मचारियों के सभी प्रवर्गों की सेवा की शर्तें जिनके अंतर्गत उनकी आचरण संहिता भी सम्मिलित है;

(xxiv) विद्यार्थियों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित तथा स्थापित करना. इस संबंध में ऐसे अन्य अनुशासनात्मक उपाय करना जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाए;

(xxv) कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण में अभिवृद्धि करने हेतु प्रबंध करना;

(xxvi) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये धर्मदान, दान और उपहार प्राप्त करना और कोई चल या अचल संपत्ति जिसके अंतर्गत न्यास तथा विन्यास संपत्ति भी, अर्जित करना धारण करना प्रबंध करना और उसका व्ययन करना;

(xxvii) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना;

(xxviii) ऐसे समस्त अन्य कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आनुषंगिक या सहायक हों.

5. विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है. दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों हेतु यह अधिकारिता क्षेत्र प्रभावी नहीं होगा. **अधिकारिता.**

6. विश्वविद्यालय समस्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए खुला होगा चाहे वे किसी भी जाति, पंथ, मूलवंश, वर्ग, अधिवास स्थान के हो और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त करने या वहां से स्नातक होने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के लिए, धार्मिक विश्वास या मान्यता संबंधी कोई परीक्षण अपनाए अथवा उस पर अधिरोपित करें. **विश्वविद्यालय, सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना.**

परन्तु इस धारा में कि किसी बात के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जाएगा कि वह विश्वविद्यालय को महिलाओं, शारीरिक रूप में विकलांग या समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की और विशिष्ट तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के नियोजन या शैक्षणिक हितों के प्रोन्नयन के लिये कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित करती है.

7. दूरस्था शिक्षा पद्धति द्वारा पाठ्यक्रमों का अनुसरण करने वाले विद्यार्थी तथा स्थानीय विद्यार्थी से भिन्न विश्वविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी सामान्य तथा किसी छात्र निवास या छात्रावास में ऐसी शर्तों के अधीन करेगा जो अधिनियम द्वारा विहित की जाए. **विद्यार्थियों का निवास.**

8. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :— **विश्वविद्यालय के अधिकारी.**

(1) विजिटर

(2) कुलाधिपति

(3) कुलपति

(4) प्रतिकुलपति

(5) संकाय के संकायाध्यक्ष

(6) कुल सचिव

(7) वित्त अधिकारी

(8) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाए.

9. (1) छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल विश्वविद्यालय के विजिटर होंगे. **विजिटर.**

(2) विजिटर को यह अधिकार होगा कि वे किन्हीं व्यक्ति/व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के निरीक्षण हेतु निर्देशित कर सकेंगे. वे विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संस्था के भवन, प्रयोगशाला तथा उपकरण आदि का निरीक्षण कर सकेंगे. वे विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा, शिक्षा तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों का भी निरीक्षण कर सकेंगे एवं वे उक्त से सम्बन्धित किसी भी प्रकरण पर जांच भी कर सकते हैं;

(3) विजिटर द्वारा प्रत्येक प्रकरण पर किये जाने वाली जांच/निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय को सूचना दी जावेगी तथा विश्वविद्यालय उक्त निरीक्षण/जांच हेतु अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने हेतु अधिकृत होगा, जिसे उक्त निरीक्षण/जांच पर उपस्थित होने तथा सुने जाने का अधिकार होगा;

(4) विजिटर निरीक्षण जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को सूचित करेंगे तथा कुलपति विजिटर द्वारा लिए गये निर्णय/परामर्श से कार्यकारिणी परिषद् को अवगत करायेंगे;

(5) कार्यकारिणी परिषद्, कुलपति के माध्यम से विजिटर को निरीक्षण/जांच पर की गई कार्यवाही/यदि कोई हो, तो प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना प्रेषित करेगी;

(6) यदि कार्यकारिणी परिषद् पर्याप्त समय के अन्दर विजिटर के संतोष के अनुरूप कार्यवाही नहीं करती है, तो विजिटर कार्यकारिणी परिषद् द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण/निवेदन पर विचार करने के उपरान्त जैसा वे उचित समझे, निर्देश प्रेषित कर सकेंगे तथा कार्यकारिणी परिषद् उक्त निर्देश का पालन करने के लिये बाध्य होगी;

(7) इस धारा के प्रावधान पर बिना किसी पूर्वाग्रह के विजिटर लिखित आदेश के द्वारा विश्वविद्यालय की कोई भी कार्यवाही जो कि अधिनियम, परिनियम अथवा अध्यादेश के अनुकूल नहीं है, निरस्त कर सकते हैं;

उस उपबन्ध पर कि उक्त आदेश प्रेषित करने के पूर्व विश्वविद्यालय को उक्त हेतु कारण बताओ नोटिस दिया जावे कि क्यों न उनके विरुद्ध यह आदेश किया जाय तथा इस हेतु यदि पर्याप्त समय के अन्दर विश्वविद्यालय द्वारा कोई कारण दिया गया हो, तो उस पर भी विचार करेंगे.

कुलाधिपति. 10. (1) महर्षि महेश योगी प्रथम कुलाधिपति होंगे और अपने जीवन पर्यन्त पद धारण करेंगे;

(2) प्रथम कुलाधिपति के पश्चात् कार्यकारिणी परिषद शिक्षा के अग्रगण्य व्यक्तियों में से या विख्यात विद्वानों में से एक कुलाधिपति नियुक्त करेगा जो पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा;

(3) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा;

(4) कुलाधिपति, उपस्थित होने पर उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और उसे ऐसी शक्तियां भी प्रत्यायोजित की जा सकेगी जो जैसा भी आवश्यक हों.

कुलपति. 11. (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति में की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए;

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक प्रमुख होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा तथा विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावित करेगा;

(3) कुलपति, यदि उसकी राय में यह है कि किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही की जाना आवश्यक है, किसी भी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन की गई है और ऐसे मामले में अपने द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को देगा;

परन्तु यदि संबंधित प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्देशित कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा;

(4) यदि कुलपति की यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों द्वारा उस प्राधिकारी को प्रदान की गई शक्तियों के परे है या यह कि किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, सम्बन्धित प्राधिकारी से यह अनुरोध कर सकेगा कि वह अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन, ऐसे विनिश्चय के पन्द्रह दिन के भीतर करे और यदि वह प्राधिकारी अपने विनिश्चय का पूर्णत: या भागत: पुनर्विलोकन करने से इन्कार करता है या साठ दिन की उक्त कालावधि के भीतर उसके द्वारा उस पर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो वह मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा;

(5) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किये जाएं.

प्रति कुलपति. 12. एक या अधिक प्रति कुलपति ऐसी रीति में नियुक्त किये जा सकेंगे और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

13. किसी संकाय का संकायाध्यक्ष ऐसी रीति में नियुक्त किया जाएगा और वह ऐसी शक्तियां का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए. संकाय के संकायाध्यक्ष.

14. (1) कुलसचिव ऐसी रीति में नियुक्त किया जाएगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए. कुल सचिव.

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अनुबन्ध करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

15. वित्त अधिकारी ऐसी रीति में नियुक्त किया जाएगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए. वित्त अधिकारी.

16. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, रीति तथा उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किये जाएंगे. अन्य अधिकारी.

17. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :— विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

(1) कार्यकारिणी परिषद्

(2) विद्या परिषद्

(3) योजना मण्डल

(4) अध्ययन मण्डल

(5) वित्त समिति, और

(6) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किय जाए.

18. (1) कार्यकारिणी परिषद्, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा और इसमें निम्नलिखित होंगे :- कार्यकारिणी परिषद्.

(एक) कुलपति;

(दो) प्रति कुलपति;

(तीन) संकाय के एक संकायाध्यक्ष जो कुलपति द्वारा वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जाएगा;

(चार) विश्वविद्यालय का एक विभागाध्यक्ष जो संकायाध्यक्ष नहीं हो, कुलपति द्वारा वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नाम-निर्देशित किया जाएगा;

(पांच) एक आचार्य (प्रोफेसर) जो संकायाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष नहीं हो, कुलपति द्वारा वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जाएगा;

(छः) एक उपाचार्य (रीडर) जो विभागाध्यक्ष नहीं हो, कुलपति द्वारा वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जाएगा;

(सात) एक व्याख्याता जो कुलपति द्वारा वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जाएगा;

(आठ) प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग या उसका नाम-निर्देशिती जो कि उप-सचिव के श्रेणी के नीचे का न हो;

(नौ) उद्योग, व्यापार, विधि, अभियान्त्रिकी या आयुर्विज्ञान अथवा वैदिक शिक्षा में या सार्वजनिक जीवन में विशिष्टता प्राप्त चार व्यक्ति जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्देशित किये जाएंगे;

(दस) प्रायोजक निकाय महर्षि शिक्षा संस्थान द्वारा मनोनीत चार व्यक्ति.

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न कार्यपालक परिषद् के समस्त सदस्य, उस रूप में उनके नाम-निर्देशन अथवा नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे;

(3) कार्यकारिणी परिषद् की बैठक के लिए कार्यपालक परिषद् के सात सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

कार्यकारिणी परिषद् की शक्तियां तथा कार्य.

19. (1) कार्यकारिणी परिषद् को विश्वविद्यालय के राजस्व तथा सम्पत्ति के प्रबन्ध और प्रशासन की ओर विश्वविद्यालय के उन समस्त प्रशासनिक कार्यकलापों के, जिनके संबंध में अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है, के संचालन की शक्ति होगी;

(2) कार्यकारिणी परिषद् को इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसमें निहित समस्त अन्य शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां होगी, अर्थात्-

(एक) अध्यापन तथा शैक्षणिक पद सृजित करना, ऐसे पदों में संख्या तथा परिलब्धियां अवधारित करना और आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द और विश्वविद्यालयों द्वारा संधारित महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के प्राचार्यों के कर्तव्य और सेवा की शर्तें परिभाषित करना;

परन्तु कार्यकारिणी परिषद् द्वारा अध्यापकों तथा शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द की संख्या, अर्हताओं तथा परिलब्धियों के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही विद्या परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् ही की जाएगी अन्यथा नहीं;

(दो) इस प्रयोजन के लिए गठित की गई चयन समिति की अनुशंसा पर ऐसे आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द जैसे कि आवश्यक हो और विश्वविद्यालयों द्वारा संधारित महाविद्यालयों और संस्थाओं के प्राचार्यों को नियुक्त करना और उनमें अस्थायी रिक्तियों को भरना;

(तीन) प्रशासनिक, अनुसचिवीय तथा अन्य आवश्यक पद सृजित करना और उसमें ऐसी रीति में नियुक्तियां करना, जैसा कि अध्यादेशों द्वारा अधिसूचित की जाए;

(चार) कुलाधिपति तथा कुलपति को छोड़कर विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अनुपस्थिति-अवकाश स्वीकृत करना और ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान उसके दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना;

(पांच) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों के मध्य अनुशासन विनियमित करना और उसे लागू कराना;

(छः) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखे, विनिवेश, सम्पत्ति, कामकाज तथा समस्त अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबन्ध करना और उनका विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ताओं को नियुक्त करना जैसा कि वह उचित समझे;

(सात) वित्त समिति की अनुशंसा पर किसी वर्ष में कुल आवर्ती और कुल अनावर्ती व्ययों की सीमा नियत करना;

(आठ) विश्वविद्यालय के किसी भी धन का जिसमें अनुपयोजित आय भी सम्मिलित है, समय-समय पर ऐसे स्टॉक, निधियों, अंशों या प्रतिभूतियों में, जैसे कि वह उचित समझे, विनियोग करना या भारत में स्थावर सम्पत्ति के प्रयोजन के लिए, ऐसे भिन्न-भिन्न विनियोगों को करने की वैसी ही शक्तियों के साथ समय-समय पर विनियोग करना;

(नौ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण स्वीकार करना;

(दस) विश्वविद्यालय का कार्य निस्पादन हेतु आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर और उपकरण और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(ग्यारह) विशविविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें फेरबदल करना, उन्हें निष्पादित करना और उन्हें निरस्त करना;

(बारह) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों और विद्यार्थियों की, जो किसी भी कारण से व्यथित अनुभव करते हैं, शिकायतें ग्रहण करना, उनका न्याय निर्णयन करना और यदि उचित समझी जाएं तो उन्हें दूर करना;

(तेरह) विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटर) को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना, और उनकी फीस, उपलब्धियों और यात्रा एवं भत्ते नियत करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा की अभिरक्षा और उसका उपयोग करने के लिए उपबन्ध करना;

(पन्द्रह) महिला विद्यार्थियों के निवास और अनुशासन के लिए ऐसे विशेष इंतजाम करना जैसा कि आवश्यक हो;

(सोलह) अपनी शक्तियों में से किन्हीं ऐसी शक्तियों को, जैसी कि वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति, संकायाध्यक्षों, कुल सचिव या वित्त अधिकारी या ऐसे अन्य कर्मचारी या प्राधिकारी या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी ऐसी समिति को प्रत्यायोजित करना;

(सत्रह) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(अठारह) (अ) मुद्रण, प्रकाशन एवं अनुवाद प्रकोष्ठ;

(ब) सूचना केन्द्र; एवं

(स) रोजगार प्रकोष्ठ संस्थित एवं प्रबन्ध करना;

(उन्नीस) अभ्यागत आचार्यों (विजिटिंग प्रोफेसर), प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं तथा विद्वानों की नियुक्ति के लिए उपबन्ध करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधन तथा शर्तें अवधारित करना, और

(बीस) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं.

20. (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों और कार्यक्रमों का समन्वय करेगी और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी; विद्या परिषद्.

(2) विद्या परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां तथा कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे.

21. (1) योजना मण्डल विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा; योजना मण्डल.

(2) योजना मण्डल का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और शक्तियां तथा कार्य परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे,

परन्तु योजना बोर्ड में अध्यापनेत्तर कर्मचारीवृन्द को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा.

22. संकाय/अध्ययन मण्डल का गठन, उसकी शक्तियां और कार्य परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे. संकाय/अध्ययन मण्डल विभाग.

23. वित्त समिति का गठन, उसकी शक्तियां और कार्य परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे. वित्त समिति.

24. ऐसे अन्य प्राधिकरणों का, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायेंगे, गठन, उनकी शक्तियां और कार्य परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण.

25. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए परिनियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात्- परिनियम बनाने की शक्ति.

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों का जो समय-समय पर गठित किये जाये, का गठन, उनकी शक्तियां तथा कार्य;

(ख) उपरोक्त प्राधिकारियों और निकायों के सदस्यों का निर्वाचन, उनका पद पर बना रहना, जिसमें सदस्यों के रिक्त स्थानों का भरा जाना सम्मिलित है और उन प्राधिकारियों तथा निकायों से सम्बन्धित समस्त अन्य मामले;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियां;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें, जिनके अंतर्गत अनुशासनात्मक मामले सम्मिलित हैं;

(ङ) उपाधियों के वितरण हेतु दीक्षान्त समारोह का आयोजन;

(च) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत अध्यापकों, शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द की किसी संयुक्त परियोजना को हाथ में लेने के लिए किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए नियुक्ति;

(छ) कर्मचारियों या विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय में मध्य विवाद के मामलों में मध्यस्थम के लिए प्रक्रिया;

(ज) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की किसी कार्यवाही के विरुद्ध किसी कर्मचारी या विद्यार्थी द्वारा कार्यकारिणी परिषद् को अपील करने के लिए प्रक्रिया;

(झ) किसी महाविद्यालय या संस्था या किसी विभाग को स्वशासी प्रास्थिति प्रदान किया जाना;

(ञ) संकाय, विभागों, केन्द्रों, छात्र निवासों, महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना और उनका समापन;

(त) सम्मानित उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(थ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, वृत्तिकाओं, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित किया जाना;

(द) उपाधियां, पत्रोपाधि, प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं वापस लिया जाना;

(ध) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से आवश्यकतानुसार अन्य संस्था का निर्माण, गठन एवं कार्य निर्धारण;

(न) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(प) कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों में अनुशासन बनाये रखा जाना;

(फ) समस्त अन्य ऐसे विषय जिनके संबंध में परिनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है.

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.

26. (1) कार्यकारिणी परिषद्, समय-समय पर ऐसे परिनियम बना सकेगी जो अधिनियम के उद्देश्यों के संगत हो

परन्तु कार्यकारिणी परिषद्, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या उसके गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को तब तक नहीं बनाएगा, उसे संशोधित या विरसित नहीं करेगा जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में लिखित में राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दिया गया है तथा इस प्रकार अभिव्यक्त की गई किसी राय पर कार्यकारिणी परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा;

(2) प्रत्येक परिनियम या किसी परिनियम में किसी संशोधन या उसके निरसन के लिए कुलाधिपति की अनुमति अपेक्षित होगी जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति रोक सकेगा या उसे कार्यपालक परिषद् को पुनर्विचार के लिए भेज सकेगा;

(3) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति अपवादिक परिस्थितियों में कार्यकारिणी परिषद् को निर्देश दे सकेगा कि वह कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियमों में उपबन्ध करे और यदि कार्यकारिणी परिषद् ऐसे निर्देश का उसकी प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर क्रियान्वयन करने में असमर्थ रहता है तो कुलाधिपति, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा ऐसे निर्देश का अनुपालन करने में अपनी असमर्थता के लिए संसूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् परिनियम बना सकेगा या उसे यथोचित रूप से संशोधित कर सकेगा.

अध्यादेश बनाने की शक्ति.

27. (1) समस्त अध्यादेश, कुलपति द्वारा कार्यपालक परिषद् के पूर्व अनुमोदन से बनाये जायेंगे;

(2) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात्:

(क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश तथा इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की समस्त उपाधियों, पत्रोपाधियों तथा प्रमाण-पत्रों के लिए अधिकथित किया जाने वाला पाठ्यक्रम;

(ग) शिक्षण तथा परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधियों, पत्रोपाधियों, प्रमाण-पत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान की जाना, उनके लिए अर्हताएं और उनके प्रदान किये जाने तथा अभिप्राप्ति किये जाने के संबंध में किये जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों हेतु और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों तथा पत्रोपाधियों के लिए प्रवेश देने हेतु प्रभारित की जाने वाली फीस;

(च) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाओं, पदकों तथा पुरस्कारों के प्रदान किये जाने के लिए शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसमें परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों (मॉडरेटर्स) की पदावधि, नियुक्ति की रीति तथा कर्तव्य सम्मिलित हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें;

(झ) विशेष प्रबन्ध, यदि कोई हो, जो महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन तथा अध्यापन के संबंध में किये जा सकते हों और उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम का विहित किया जाना;

(ञ) जिन कर्मचारियों के लिए परिनियमों में उपबन्ध किया गया है उनसे भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति तथा परिलब्धियां;

(त) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डो, विशेष केन्द्रों, विशेषीकृत प्रयोगशालाओं तथा अन्य समितियों की स्थापना,

(थ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकारियों जिनमें विद्वत निकाय या संगम सम्मिलित है, के साथ सहकार तथा सहयोग की रीति,

(ध) किसी अन्य निकाय का सृजन, उसकी संरचना तथा उसके कृत्य जो विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक समझे जाएं,

(न) अध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द के ऐसे अन्य निबन्धन तथा सेवा की शर्तें जो परिनियमों द्वारा विहित नहीं की गई है,

(प) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये महाविद्यालयों तथा संस्थाओं का प्रबंध,

(फ) कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना करना, और

(ब) समस्त अन्य विषय जिनके संबंध में अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना, इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अपेक्षित है.

विनियम. 28. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में अपने स्वयं के और अपने द्वारा नियुक्त की गई समितियों के, यदि कोई हो, और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा कोई उपबन्ध नहीं किया गया है कामकाज के संचालन के लिए, ऐसे विनियम बना सकेंगे जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हो.

वार्षिक रिपोर्ट. 29. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्यक रूपेण संपरीक्षित वार्षिक लेखे तथा तुलना पत्र सम्मिलित है कार्यपालक परिषद् के निर्देशों के अधीन प्रतिवर्ष तैयार की जाएगी और उसमें अन्य विषयों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये गये उपायों को भी सम्मिलित किया जाएगा;

(2) इस प्रकार तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को या उसके पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी;

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को या उसके पूर्व शिक्षा मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन को भी प्रस्तुत की जाएगी.

कर्मचारियों की सेवा शर्तें. 30. (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा, ऐसी संविदा विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जाएगी;

(2) विश्वविद्यालय और उसके किसी कर्मचारी के मध्य किसी संविदा से उद्भूत कोई विवाद कर्मचारी के अनुरोध पर एक ऐसे माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नियुक्त किया गया एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नाम-निर्देशित किया गया एक सदस्य तथा कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया गया एक अधिनिर्णायक सम्मिलित होगा;

(3) ऐसे मामले में अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा;

(4) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी.

विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों में अपील तथा माध्यस्थम की प्रक्रिया.

31\. (1) परीक्षा के लिए कोई विद्यार्थी या अभ्यर्थी, जिसका नाम, यथास्थिति, कुलपति अनुशासन समिति या परीक्षा समिति द्वारा आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामावली से हटा दिया गया है और जिसे एक वर्ष से अधिक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से विवर्जित कर दिया गया है उसके द्वारा ऐसे आदेश की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर कार्यकारिणी परिषद् को अपील कर सकेगा और कार्यकारिणी परिषद्, यथास्थिति कुलपति या समिति के विनिश्चय की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा;

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी विद्यार्थी के विरुद्ध की गई किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही से उद्भूत कोई विवाद, ऐसे विद्यार्थी के अनुरोध पर. माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा और धारा 30 की उपधारा (2), (3) तथा (4) के उपबन्ध यथाशक्य, इस उपधारा के अधीन किये गये निर्देश को लागू होंगे.

अपील का अधिकार.

32\. विश्वविद्यालय के या किसी महाविद्यालय के या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्था के किसी कर्मचारी या विद्यार्थी को, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी महाविद्यालय या संस्था के प्राचार्य के विनिश्चय के विरुद्ध कार्यकारिणी परिषद् को अपील ऐसे समय के भीतर करने के अधिकार होगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए और तदुपरांत कार्यपालक बोर्ड ऐसे विनिश्चय कि जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगा, उसे रूपांतरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा.

भविष्य निधि तथा पेंशन निधि.

33\. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अध्याधीन रखते हुए जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि गठित करेगा तथा ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जैसा कि वह उचित समझे.

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों के गठन के संबंध में विवाद.

34\. यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

समितियों का गठन.

35\. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गई है वहां अन्यथा उपबन्धित के सिवाय ऐसी समितियों में संबंधित प्राधिकारी के सदस्य तथा ऐसा अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो, जिसे प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, होंगे.

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.

36\. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियां, यथाशक्य शीघ्र, उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस सदस्य को जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और इस प्रकार किसी आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया गया व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस व्यक्ति की अवशिष्ट अवधि के लिए रहेगा जिस व्यक्ति के स्थान की उसने पूर्ति की हो.

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों की कार्यवाहियों के कारण विधिमान्य न होना.

37\. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां विद्यमान है.

सद्भावपूर्वक की गई कार्य-वाही के लिए संरक्षण.

38\. व्यक्ति की ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या जिसका सद्भावपूर्वक किया जाना आशय रहा है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होगी.

संक्रमणकालीन उपबन्ध.

39\. इस अधिनियम तथा परिनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी-

(क) प्रथम कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और उक्त अधिकारी पांच वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगा;

(ख) प्रथम कुलसचिव तथा प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और उक्त अधिकारियों में से प्रत्येक अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(ग) प्रथम कार्यकारिणी परिषद् में जो कुलाधिपति द्वारा नामित किये जायेंगे और वे तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;

(घ) प्रथम विद्या परिषद् तथा परिषद् तथा प्रथम योजना मण्डल को कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा;

परन्तु उपरोक्त पदों या प्राधिकारियों में कोई रिक्ति होती है तो उसे कुलाधिपति द्वारा, यथास्थिति, नियुक्ति या नाम-निर्देशन द्वारा भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त या नाम-निर्दिष्ट किया गया व्यक्ति, तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह अधिकारी या व्यक्ति, जिसके स्थान पर वह नियुक्त या नामित किया गया है ऐसा पद धारण किये रहता, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती.

परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों को राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.

40. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा.

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम उसके बनाये जाने के पश्चात यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.

(3) परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत किन्हीं परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों को ऐसी तारीख से भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति आती है जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से पूर्व की तारीख नहीं होगी, परन्तु किसी ऐसे परिनियम, अध्यादेश या विनियम को ऐसा भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिसे किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसे ऐसा परिनियम, अध्यादेश या विनियम लागू होता है, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

उद्देश्य और कारणों का कथन

मानव इतिहास के प्रारम्भ से ही शिक्षा की उत्पत्ति, विविधता एवं विस्तार निरन्तर होता आया है तथा उसके क्षेत्र एवं पहुंच का निरन्तर विकास हुआ है. प्रत्येक देश अपनी शिक्षा का प्रारूप बनाता है जिससे वह अपनी संस्कृति की पहचान को बना सके व समय की मांग को पूर्ण कर सके. इतिहास में ऐसे भी क्षण आये जब वर्षों से चली आ रही प्रक्रिया को नई दिशा प्रदान की गई. उस क्षण का आज से ही शुभारम्भ हो रहा है.

2. इस बात का अथक प्रयास किया जायेगा कि पूर्व में छत्तीसगढ़ में विकसित धरोहर का अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके जिससे इसका आर्थिक व तकनीकी विकास हो, व यह भी सुनिश्चित् किया जा सके कि परिवर्तन का फल सभी प्रकोष्ठों को प्राप्त हो. शिक्षा इस उद्देश्यों को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है. इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर आमूल पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया जायेगा जिससे इसकी गुणवत्ता को चरणों बढ़ाया जा सके यह कार्य महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी के स्थापना के द्वारा ही किया जा सकेगा. इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबन्धन अध्ययन, औषधि, फार्मेसी, नर्सिंग शिक्षा, विधि इत्यादि जैसे व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान सहित उच्च शिक्षा के अध्ययन तथा अनुसंधान और विस्तार कार्य को सुविधाजनक बनाने एवं बढ़ावा देने के लिए सम्बद्धता प्रदान करने वाले व अध्यापन करने वाले तथा इसे समविष्ट करने के लिए तथा इनसे सम्बन्धित क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तथा इनसे सम्बन्धित अथवा प्रासंगिक विषयों के लिये स्थापना की जायेगी. महर्षि जी की यूनीफाइड फील्ड पर आधारित एकीकृत शिक्षा पद्धति को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जायेगा जिससे शिक्षा के मूलभूत सिद्धान्तों का विकास होता है यथा-ज्ञाता या छात्र, ज्ञात या विषयवस्तु व जानने की क्रिया जो कि ज्ञाता को ज्ञेय से जोड़ता है.

3. विश्वविद्यालय का मुख्य लक्ष्य छत्तीसगढ़ के पिरामिड की नींव सुदृढ़ करना है. यह सुनिश्चित् है कि जो पिरामिड के शिखर पर हैं वे विश्व में सर्वोत्तम हैं. महर्षि की बहुमुखी शिक्षा योजना से मानव संसाधन विकास में किये जा रहे प्रयासों को तीव्रता मिलेगी.

4. विधान सभा सत्र प्रारम्भ नहीं होने के कारण महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत विधेयक को अध्यादेश 2002 के रूप में प्रख्यापित किया गया.

5. वर्तमान में विधान सभा प्रारंभ में है अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
तारीख

भारसाधक सदस्य

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के सम्बन्ध में ज्ञापन

छत्तीसगढ़ विधेयक "महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी 2002" के खण्ड 40 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य शासन को अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम निर्माण की शक्ति प्रत्यारोपित की गई है. इसमें यह भी प्रावधानित किया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों को राजपत्र में प्रकाशित कराया जावेगा तथा यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जावेगा.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर दिनांक 18 अप्रैल, 2002

क्रमांक 2891/21-अ/प्रारूपण/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, महर्षि यूनिवर्सिटभ ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नालॉजी, अधिनियम का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM

NO. 10 OF 2002

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY

ADHINIYAM, 2002

An Act to establish and incorporate a teaching and affiliating University to impart instructions in such branches of learning as University may think fit including Vedic teaching and learning and promote research facilities in the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Third Year of the Republic of India as Follows :-

Short title and Comencement. 1. (1) This Act may be called the Maharishi University of Management and Technology Act, 2002 (No. 10 of 2002).

(2) It shall come into force on such date as the Government of Chhattisgarh may, by notification, in the Official Gazette appoint.

Definitions. 2. In this Act, unless the context otherwise requires,

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;

(b) "Academic Staff" means such categories of staff as are designated as academic staff by the Ordinance;

(c) "Executive Council" means the Executive Council of the University;

(d) "Board of Studies" means the Board of Studies of the University;

(e) "Chancellor, Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor" means respectively the Chancellor, Vice-Chancellor and Pro-Vice_Chancellor of the University;

(f) "College" means a college established and maintained by or affiliated to or recognised and admitted to its privileges by the University;

(g) "Department" means a University Department recognised as such by Statutes;

(h) "Distance Education System" means the system of imparting education through any means of communication such as broadcasting, telecasting, Satellite Internet correspondence courses, seminars, contact or the combination of any two or more such means;

(i) "Employee" means any person appointed by the University and includes teachers and other staff of the University;

(j) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University;

(k) "Hall" means a unite of residence or corporate life for the students of the University or of a college, campus or of an Institution maintained by the University;

(l) "Institution" means an academic institution, not being college maintained by the University;

(m) "Planning Board" means the Planning Board of University;

(n) "Principal" means the Head of a College or an Institution maintained by the University, and includes, where there is no Principal, the person for the time being duly appointed to act as Principal and, in the absence of the Principal or the acting Principal, a Vice-Principal duly appointed as such;

(o) "Recognised Institution" means an institution of Higher learning recognised by the University;

(p) "Recognised Teachers" means the such persons. as may be recognised by the, University for the purpose of Imparting instructions in a college or an Institutions maintained by the University or which is not maintained by the University;

(q) "Regulations" means the regulations made by any authority of the University under this Act for the time being enforced;

(r) "Statutes and Ordinance" means respectively the Statutes and Ordinances of the University under this Act:

(s) "Teachers" include Professors. Readers. Lecturers and such other persons as may be appointed for imparting instructions or conducting research in the University or in any College or Institution maintained by the University and are designated as teachers by the Ordinances;

(t) "Sponsoring Body" means the Maharishi Siksha Sansthan, registered Society which will have the total control of the University;

(u) "Students" means a student of the University, and includes any person who has enrolled himself for pursuing any course of study of the University;

(v) "A Foreign Student" means a student who is not an Indian National;

(w) "Campus" means a campus established, maintained or recognised by the University for the purpose of advising counseling, evaluating or for rendering any other assistance required by the student;

(x) "University" means the Maharishi University of Management and Technology established under this Act:

(y) "Year" means the twelve months period ending on 30th of June:

(z) "Officers of the University" means officers as defined in Section 8 of this Act;

The University. 3. (1) There shall be established a University by the name Maharishi University of Management and Technology.

(2) The headquarters of the University shall be at Bilaspur in the State of Chhattisgarh and it may also establish campuses at such other places within its jurisdiction as it may deem fit.

(3) The first Chancellor, Vice-Chancellor, Pro-Vice-Chancellor and the first members of the Executive Council, or Academic Council or Planning Board and all persons who may hereafter becomes such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership are hereby constituted into a body corporate by the name of Maharishi University of Management and Technology.

(4) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

Powers of the University. 4. The University shall have the following powers; namely :-

(i) to provide for instruction in such branches of learing as the University may think fit, and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge in all fields, including in all the 40 branches of Vedic learning and practices (Rk Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Atharva Veda, Shiksha, Kalp, Vyakarn, Jyotish Chhand, Nirukt, Nyaya. Vaisheshik, Samkhya, Vedant, Karma Mimansa, Yoga, Upnishad, Aranyak, Branhmana, Samhita, Puran, Itihas, Gandharva Veda, Dhanur Veda, Sthapatya Veda, Vagbhatt Sanhita, Sushrut Samhita, Kashyap

Samhita, Bhave Praksh Samhita, Sharangadhar Samhita, Madhav Nidan Samhita, Rkveda (Pratishakhyas), Shukla Yajur Veda (Pratishakhyas), Atharva Veda (Pratishakhyas), Sama Veda (Pushap Sutram), Krishna Yajur Veda (Taittirlya) Atharva Veda (Chaturadhyayi);

(ii) to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates to and confer degrees or other academic distinctions on the basis of examination, evaluation or any other method of testing on persons, and to whithdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(iii) to organise and undertake to extramural studies training and extension services;

(iv) to confer honorary degrees or other distinctions in the manner prescribed by the Statutes;

(v) to provide facilities through the distance education system;

(vi) to recognise an institution of higher learning for such purpose as the University may determine and withdraw such recognition;

(vii) to recognise persons for imparting instruction in any college or institution maintained by the University;

(viii) to appoint persons working in any other university or organisation as teacher of the University for specified period;

(ix) to create teaching administrative or associate with any other University or authority or institution of higher learning in such manner and for such purpose as the University may determine;

(x) to co-operate or collaborate or associate with any other University or authority or institution of higher learning in such manner and for such purpose as the University may determine;

(xi) to establish such campuses/faculties/departments/specialised laboratories or other units for research and instruction as are in the opinion of the University necessary for the furtherance or its objects;

(xii) to institute and award fellowships, scholarships stipends, medals and prizes;

(xiii) to establish and maintain Colleges, Institutions and Halls;

(xiv) to make provision for research and advisory services and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions, industrial or other organisation as the University may deem necessary;

(xv) to organise and conduct refresher courses; orientation courses, workshops, seminars and other programmes for teachers, evaluators and other academic staffe:

(xvi) to make special arrangements in respect of the residence discipline and teaching of women students as the University may consider desirable;

(xvii) to appoint on contract or otherwise visiting Professors, Emeritus Professors, Consultants Scholars and such other persons who may contribute to the advancement of the objects of the University;

(xviii) to confer autonomous status on a college or an Institution or a Department as the case may be, in accordance with the statues;

(xix) to determine standard of admission to the University, which may include examination, evaluation or any other method of testing;

(xx) to fix quota for students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for admission purposes;

(xxi) to demand and receive payment of fees and other charges;

(xxii) to supervise the residence of the students of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;

(xxiii) to lay down conditions of service of all categories of employees, including their code of conduct;

(xxiv) to regulate and enforce discipline among the students and the employees, and to take such disciplinary measures in this regard as may be deemed to the University, necessary;

(xxv) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employee;

(xxvi) to receive benefactions, donations and gifts and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable including trust and endowment properties for the purposes of the University;

(xxvii) to borrow on the security of the property of the University Money for the purposes of the University; and

(xxviii) to do all such other acts and things as may be necessary incidental or conductive for the attainment of all or any of its objects.

Jurisdiction.

5. The Jurisdiction of the University shall extend to the whole of the State of Chhattisgarh. For distance education programmes this jurisdiction will not be applicable.

University open to all classes.

6. The University shall be open to all persons of either sex and of whatever caste, creed, race, class, place of domicile, it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him to be appointed as a teacher of the University or to hold by other office therein or be admitted as a student in the University or to graduate there at or to enjoy or exercise any privilege thereof;

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for the employment or promotion of educational interests of women, physically handicapped or persons belonging to the weaker sections of the society or the experts in any special field of knowledge.

Residence of Student.

7. Every student of the University other than a student who pursues a course of study by distance education system, or as a day scholar, shall normally reside in a Hall or Hostel under such conditions as may be prescribed by the Act.

Officers of the University.

8. The following shall be the officers of the University :

(1) The Visitor;

(2) The Chancellor;

(3) The Vice-Chancellor;

(4) The Pro-Vice-Chancellor;

(5) The Deans of Faculties;

(6) The Registrar;

(7) Finance Officer;

(8) Such other persons in the service of the University as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

Visitor.

9. (1) The Governor of Chhattisgarh shall be the Visitor of the University.

(2) The Visitor shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings,

laboratories and equipment and of any Institution maintained by the University. and also of the examination, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the University.

(3) The Visitor shall in every case give notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made, and the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(4) The Visitor may address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection and inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the Visitor with such advice as the Visitor may offer upon the action to be taken thereon.

(5) The Executive Council shall communicate through the Vice-Chancellor to the Visitor such action, if any, as it is proposed to take or has been taken upon the result of such inspection or inquiry.

(6) Where the Executive Council does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the Visitor, the Visitor may, after considering any explanation furnished or representation made by the Executive Council, issue such direction as he may think fit and the Executive Council shall be bound to comply with such directions.

(7) Without prejudice to the foregoing provisions of this Section the Visitor may, by order in writing, annual any proceeding of the University which is not in conformity with this Adhyadesh, the Statutes or the Ordinance :

Provided that before making may such order he shall call upon the University to show cause why such an order should not be made and, if any cause is shown within a reasonable time, shall consider the same.

The Chancellor.

10. (1) Maharishi Mahesh Yogi shall be the first Chancellor and shall hold office during his lifetime.

(2) After the first Chancellor the Executive Council shall appoint a Chancellor from amongst persons of eminence and renowned scholar, who shall hold office for a term of five years and shall be eligible for reappoitment.

(3) The Chancellor shall be virtue of his office, be the Head of the University.

(4) The Chancellor shall if present, preside at the convocation of the University held for conferring degrees, and may delegate such powers as and when may be necessary.

The Vice-Chancellor.

11. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in such manner as may be prescribed by the statutes.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic head of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of all the authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall report to such authority the action taken by him on such matter.

Provided that if the authority concerned is of opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

(4) The Vice-Chancellor, if, is of the opinion that any decision of any authority of the University is beyond the powers of authority conferred by the provisions of this Act, the statutes or the Ordinances, or that any decision taken is not in the Internet of the University, may ask the authority concerned to review its decision within fifteen days of such decision and if either in whole or in part or no decision is taken by it within the said period of fifteen days, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

(5) The Voice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances.

The Pro-Vice Chancellor.

12. One or more Pro-Voice-Chancellors may be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

Deans of Faculties.

13. Dean of a Faculty shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

The Registrar.

14. (1) The Registrat shall be appointed in such manner as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Registrar shall have the power to enter into agreement, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

The Finance Officer.

15. The Finance Office shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

Other Officers.

16. The Manner of appointment and powers and duties of the other officers of the University shall be prescribed by the Statutes.

Authorities of the University.

17. The following shall be authorities of the University, namely :-

(i) the Executive Council;

(ii) the Academic Council;

(iii) the Planning Board;

(iv) the Board of Studies;

(v) the Finance Committee; and

(vi) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

The Executive Council.

18. (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University and shall consists of :-

(i) Vice-Chancellor;

(ii) Pro-Vice-Chancellor;

(iii) One Dean of Faculty of studies to be appointed by the Vice-Chancellor by rotation according to seniority;

(iv) One Head of Department of the University, who is not a Dean, to be nomitated by the Vice-Chancellor by rotation according to seniority;

(v) One Professor, who is not a Dean or Head, to be appointed by the Vice-Chancellor by rotation according to seniority;

(vi) One Reader, who is not a Head, to be appointed by the Vice-Chancellor by rotation according to seniority;

(vii) One Lecturer, to be appointed by the Vice-Chancellor by rotation according to seniority;

(viii) Principal Secretary/Secretary incharge of Higher Education Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary:

(ix) Four persons of distinction from the fields of Industries or Commerce or Legal, Engineering or Medical Profession or in Vedic Education and from such other fields of public life to be nominated by the Chancellor;

(x) Four persons nominated by the Sponsoring Body the Maharishi Shiksha Sansthan.

(2) All members of the Executive Council, other than ex-officio members shall hold office for a period of three years from the date of their nomination or appointment as such.

(3) Seven member of the Executive Council shall form quorum for the meeting of the Council.

Powers and functions of the Executive Council.

19. (1) The Executive Council shall have the power of management and administration of the revenue and property of the University and the conduct of all administrative affairs of the University not otherwise provided for.

(2) Subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, the Executive Council shall in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely :-

(i) to create teaching and academic posts, to determine the number and emoluments of such posts and to define the duties and conditions of service of Professors, Readers, Lecturers and other academic staff and Principals of Colleges and Institutions maintained by the University;

Provided that no action shall be taken by the Executive Council in respect of the number, qualifications and the emoluments of teachers and academic staff otherwise than those made after due consideration of the recommendations of the Academic Council;

(ii) to appoint such Professors, Readers, Lecturers and other academic staff as may be necessary and Principals of colleges and institutions maintained by the University on the recommendation the selection committee constituted for purposes and to fill up temporary vacancies therein;

(iii) to create administrative, ministerial and other necessary posts and to make appointments thereto in the manner prescribed by the Ordinances;

(iv) to grant leave of absence to any officer of the University other than the Chancellor and the Vice-Chancellor and to make necessary arrangement for the discharge of the functions of such officer during his absence;

(v) to regulate and enforce discipline among employees in accordance with the Statutes and the Ordinances;

(vi) to manage and regulate the finances, accounts investments property, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose to appoint such agents as it may think fit;

(vii) to fix limits on the total recurring and the total non-recurring expenditure for a year on the recommendations of the Finance Committee;

(viii) to invest any money belonging to the University, including any unapplied income in such stocks, funds, shares or securities from time to time, at it may think fit or in the purpose of immovable property in India with the like powers of varying such investment from time to time;

(ix) to transfer or accept transfers of any movable or immovable property on behalf of the University;

(x) to provide buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;

(xi) to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University;

(xii) to entertain, adjudicate upon, to redress any grievances of the employees and if considered fit, students of the University who may, for any reason, feel aggrieved;

(xiii) to appoint examiners and moderators and, if necessary to remove them, and to fix their fees, emoluments and travelling and other allowances, after consulting the Academic Council;

(xiv) to select a common seal for the University and provide for the custody and use of such seal;

(xv) to make such special arrangements as may be necessary for the residence and discipline of women students;

(xvi) to delegate any of its powers to the Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor, the Deans, the Registrar or the Finance Officer or such other employees or Authority of the University or to a committee apointed by it as it may deem fit;

(xvii) to institute fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;

(xviii) to institute and manage :-

(a) a Printing, Publication and Translation bureau:

(b) an Information Bureau; and

(c) an Employment Bureau.

(xix) to provide for the appointment of visiting Professors, Emeritus Professors. Consultants and scholars and determine the terms and conditions of such appointments: and

(xx) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by the Act or the Statues.

The Academic Council. 20. (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall. subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies and programmes of the University;

(2) The constitution of the Academic Council, the term of office of its members and its powers and functions shall be prescribed by the Statutes.

The Planning Board. 21. (1) The Planning Board shall be the principal planning body of the University;

(2) The constitution of the Planning Board, term of office of its members and

its powers and functions shall be prescribed by the Statutes:

Provided that Planning Board shall have the representation of non-teaching staff also

22. The Constitutions, powers and functions of the Faculties Boards of studies and Departments shall be prescribed by the Statutes. **Faculties/The Boards of studies/Departments.**

23. The Constitutions. Powers functions of the Finance Committee shall be prescribed by the Statutes. **The Finance committee.**

24. The Constitutions, powers and functions of other authorities, as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University shall be prescribed by the Statutes. **Other Authorities of the University.**

25. Subjects to the provisions of this Adhiniyam, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely :- **Powers to make Statutes.**

(a) The constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University, as may be constituted from time to time;

(b) the election and continuance in office of the members of the said authorities and Bodies including the filling up of vacancies of members and all other matters relating to those authorities and bodies;

(c) the appointment, powers and duties of the officers of the University and their emoluments;

(d) the appointment of teachers, academic staff and other employees of the University, their emoluments and other conditions of service including disciplinary matters;

(e) the holding of convocation to confer degrees;

(f) the appointment of teachers, academic staff working in any other University or organisation for specific period for under-taking a joint project;

(g) the procedure for arbitration in cases of dispute between employees or students and the University;

(h) the procedure for appeal to the Executive Council by any emplyees or students against the action of any officer or authority of the University;

(i) the conferment of autonomous status on a College or an Institutions or a Department;

(j) the establishment and abolition of Faculties, Departments, Centres, Halls, Colleges and Institutions;

(k) the conferment of honorary degrees:

(l) the institution of fellowship, scholarships, stipends, medals and prizes;

(m) the withdrawal of degrees, diploma, certificates and other academic distinctions;

(n) the creation, compostion and functions of any other body, which is considered necessary for improving the academic life of the University;

(o) the delegation of powers vested in the authorities or officers of the University;

(p) the maintenance of the discipline among the employees and students;

(q) all other matters required by this Act to be provided for by the Statutes;

26. (1) The Executive Council may from time to time make statute consistent with the objects of the Act; **Statutes how to be made.**

Provided that the Executive Council shall not make or amend or repaeal any statute affecting the status, power or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council;

(2) Every Statute or any amendment or repeal of a Statute shall require the assent of the Chancellor who may assent thereto or withhold assent or remit the same to the Executive Council for reconsideration;

(3) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections the Chancellor in exceptional circumstances, may direct the Executive council to make provisions in the Statutes in respect of any matter specified by him and if the Executive Council is unable to implement such direction within fifteen days of its receipt, the Chancellor may, after considering the reasons, if any, communicated by the Executive Council for its inability to comply with such direction made or amend the Statutes suitably.

Powers to make Ordinance.

27. (1) All Ordinances shall be made by the Vice-Chancellor with the previous approval of the Executive Council.

(2) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matter, namely :-

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;

(b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificate of the University;

(c) the medium of instruction and examinations;

(d) the award of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions. the qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;

(e) the fees to be charged for courses of study in the University and for admission to the examination degrees and diplomas of the University;

(f) the conditions for award of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;

(g) the conduct of examinations including the term of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(h) the conditions of residence of the students of University;

(i) the special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students and the prescribing of special courses of studies for them;

(j) the appointments and emoluments of employees other than those for whom provisions has been made in the statutets;

(k) the establishment of Faculties, Departments, Colleges, Board of Studies Special Centres, Specialised Laboratories and other Committees;

(l) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and authorities including learned bodies or associations;

(m) the creation, composition and functions of any other body, which is considered necessary for improving the academic life of the University;

(n) such other terms and conditions of service of teachers and other academic staff as are not prescribed by the Statutes;

(o) the management of Colleges and Institutions established by the University;

(p) the setting up of a machinery for redressal of grievances of employees; and

(q) all other matters which by this Act or the Statutes are required to be provided for by the Ordinances.

28. The authorities of the University may in the manner prescribed by the Statutes, make regulations, consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances for the conduct of their own business and that of the Committees, if any, appointed by them and not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances. **Regulations.**

29. (1) The annual report of the University including the annual accounts and balance sheet duly audited by a chartered accountant shall be prepared for each year under the direction of the Executive Council, which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfillment of its objects; **Annual Report.**

(2) The annual report so prepared shall be submitted to the Chancellor on or before the thirty-first of December of each year;

(3) A copy of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be submitted to the Ministry of Education, Government of Chhattisgarh on or before the thirty first of December of each year.

30. (1) Every employee of the University shall be appointed under a written contract, which shall be lodged with a University and a copy of which shall be furnished to the employee concerned; **Conditions of service of employees.**

(2) Any dispute arising out of the contract between the University and any employee shall, at the request of the employee, be referred to a Tribunal of Arbitration consisting of one member appointed by the Executive Council one member nominated by the employee concerned and an umpire appointed by the Chancellor;

(3) The decision of the Tribunal in such matter shall be final;

(4) The procedure for regulating the work of the Tribunal shall be prescribed by the Statutes.

31. (1) Any student or candidate for an examination whose name has been removed from the rolls of the University by the orders or resolution of the Vice-Chancellor, Discipline Committee or Examination Committee, as the case may be, and who has been debarred from appearing at the examinations of the University for more than one year, may within ten days of the date recipt of such orders or copy of such resolution by him, appeal to the Executive Council and the Executive Council may confirm, modify or reverse the decision of the Vice-Chancellor or the Committee as the case may be. **Procedure of appeal and arbitration in disciplinary cases against students.**

(2) Any dispute arising out of any disciplinary action taken by the University against a student shall, at the request of such student, be referred to a Tribunal of Arbitration and the provisions of sub-section (2), (3) and (4) of Section 30 shall for as may, apply to reference made under this sub-section.

32. Every employee or student of the University or of a college of Institution maintained by the University shall, notwithstanding anything contained in this Act, have a right to appeal within such time as may be prescribed by the Statute, to the Executive Council, against the decision of any officer or authority of the University or of the Principal of any college or institution, as the case may be, and thereupon the Executive Council may confirm, modify or reverse the decision appealed against. **Right to appeal.**

Provident and Pension Funds. 33. The University shall constitute for the benefit of its employees such provident or pension fund and provide such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes.

Disputes as to constitution of University authorities and bodies. 34. If any question arises as the whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Constitution of Committee. 35. Where any authority of the University is given power by this Act or the Statutes to appoint committees such committees shall, save as otherwise provided consist of the members of the authority concerned and of such other person, if any, as the Authority in each case may think fit.

Filling of Casual Vacancies. 36. All casual vacancies among the member (other than ex-officio members) of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as may be, by the person or body who appointed, elected or co-opted the members whose place has become vacant and the person so appointed, elected or co-opted to the casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term of the person whose place he fills.

Proceeding of Unversity authorities or bodies not invalidated by vacancies. 37. No act or proceeding of any Authority or other body of the University shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy among its members.

Protection of action taken in good faith. 38. No suit or other legal proceeding shall lie against any officer or other employee of the University for anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act, the Statutes or the Ordinances.

Transitional provisions. 39. Notwithstanding anything contained in this Act and the Statuted :-

(i) the first Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor and the said officer shall hold office for a term of five years;

(ii) the first Registrar and the first Finance Officer shall be appointed by the Chancellor and each of the said officers shall hold office for a term of three years;

(iii) the first Executive Council shall be nominated by the Chancellor for a term of three years;

(iv) the first Academic Council and the first Planning Board shall be nominated by the Chancellor for a term of three years;

Provided that if any vacancy occurs in the above offices or Authorities, the name shall be filled by applintment or nomination, as the case may be, by the Chancellor and the person so appointed or nominated shall hold office for so long as the officer or member in whose place he is appointed or nominated would have held that office, if such vacancy had not occurred.

Statutes, Ordinances and Regulation to be published and circulated to all authorities and officers of University. 40. (1) Every Statute, Ordinance or Regulation made under this Act shall be published in the Gazette.

(2) Every Statute, Ordinance or Regulation made under this Act shall be put, as soon as may be after it is made to the table of the Assembly.

(3) The power to make Statutes, Ordinances or Regulations shall include the power to give retrospective effect from a date not earlier than the date of

commencement of this Adhyadesh to the Statutes, Ordinances or Regulations or any of them but no retrospective effect shall be given to any Statutes, Ordinance or Regulations so as to have prejudicial affect in the interest of any person to whom such Statute Ordinance or Regulation may be applicable.

Raipur

Date

Governor of Chhattisgarh

REASONS AND OBJECTS

Education has continued to evole, diversify and extend its reach and coverage since the dawn of human history. Every country develops its system of education to express and promote its unique socio-cultural identity and also to meet the challenges of the times. There are moments in history when a new direction has to be given to an age-old process. That moment is today.

A major effort will be made to derive the maximum benefit from the assets already created in the new State of Chhattisgarh for its economy and technical development and to ensure that the fruits of change reach all sections. Education is the highway to that goal. With this object in view, stress on the need for a radical reconstruction of the education system, to improve its quality at all stages, can be achieved by establishing and incorporating an affiliating and teaching University, Maharishi University of Management and Technology at Chhattisgarh, to provide for education and prosecution of research in Vedic Learning and to facilitate and promote studies, research and extension work in emerging areas of higher education with focus on professional education, for example engineering, technology, management studies, medicine, pharmacy, nursing education, law etc., and also to achieve excellence in these and connected fields and other matters connected therewith or incidental thereto. The Maharishi Technology of the Unified Field which is used in the Maharishi Unified Field Based Integrated System of Education, will be added to the curricula which develops the full value of the three fundamental aspects of education the knower, or student the known, or subject matter, and the process of knowing, which connects knower to known.

The main focus of the university will be to strengthen the base of the pyramid in Chhattisgarh. It will be ensured that those at the top of the pyramid are among the best in the world. It should be possible to intensity the efforts in Human Resource Development with Maharishi Education Plan playing its multifaceted role.

1. Hence this Ordinace.

Raipur :

Date :

Mamber-in-charge

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.